FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

जितेन्द्र कुमार बनाम भूमिधारी तहसीलदार

किस्म मुकदमा इजराय

मुकदमा नम्बर 21/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
12.08.2025	वकील डिक्रीदार श्री अशोक कुमार पालीवाल एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2025 की पालना मे राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नही हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 13.09.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	3013/रीडर 20.08.25
16.09.2025	पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में सम्बन्धित पटवारी हल्का हांसपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण मे ऑनलाईन मिलान किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना जरिये नामान्तकरण संख्या 1778 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाया जाकर इसी स्तर पर खारिज [illegible] की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	ऑनलाईन राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ना.सं. 1778 दि. 27/08/25 द्वारा अमल दरामद किया गया। 27.08.25 प.वारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.23 17:18:04 IST
Reason: SelfAttested